



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए “केंद्रित” “CENTRAL” TO YOU SINCE 1911

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014, मुंबई

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
TUESDAY, DECEMBER 30, 2014, MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400 021

विषय-सूची / CONTENTS

विषय सूची CONTENTS	पृष्ठ सं. PAGE NO
सूचना Notice	1
नोट Notes	5
व्याख्यात्मक विवरण Explanatory Statement	13
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	19
उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पास Attendance Slip-cum-Entry Pass	23



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014 को प्रातः 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई - 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

“प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात “अधिनियम” कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात “योजना” कहा जाएगा) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात “विनियम” कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उनके द्वारा उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए निर्धारित शर्तों एवं संबोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात “बोर्ड” कहा जाएगा) जिसमें पूंजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जो इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित की गई है/ अथवा पुनर्गठित की जानी है, को सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित कुल मिलाकर रु. 626,23,39,500.00 (रु.छ: सौ छब्बीस करोड़, तेईस लाख, उनतालीस हजार, पांच सौ मात्र) तक के रु. 10/- अंकित मूल्य के अधिमान आधारित रु. 75.55 प्रति ईक्विटी शेयर मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 8,28,90,000 ईक्विटी शेयर तक ईक्विटी शेयर निर्मित, निर्गमित तथा आबंटित करने के लिए उक्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम मूल्य निर्धारण की “संगत तारीख” 28.11.2014 है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति होगी कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ वे स्टॉक



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 30th December, 2014 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai-400056 to transact the following business :

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to, by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 8,28,90,000 Equity Shares to Life Insurance Corporation of India of the face value of Rs.10/- each on preferential basis at a price of Rs. 75.55 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs. 626,23,39,500.00 (Rupees Six Hundred Twenty Six Crore, Twenty Three Lac, Thirty Nine Thousand, Five Hundred Only)."

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 28-11-2014. "

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the

एक्सचेंज , जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.”

“आगे प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर डीमेट स्वरूप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक लॉक इन अवधि के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभांश, यदि हो, की घोषणा करने के समय लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और ईक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.”

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई
दिनांक : 03.12.2014

(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

**BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India**

**Place : Mumbai
Date : 03.12.2014**

**(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यसूची के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को साय: 5 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि”, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित कराकर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

6. मतदान का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

NOTES:

1 EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Wednesday, 24th December, 2014.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Wednesday, 24th December, 2014.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders/Authorised Representatives should state on the Attendance Slip-Cum-Entry pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस की स्व प्रति अपने साथ लाएं.

9. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

- I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- (i) वोटिंग समयावधि सोमवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 (10:00 एएम) से प्रारंभ हो कर बुधवार दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 (5:00 पीएम) को समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान दिनांक 28 नवम्बर 2014 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- (ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें
- (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें
- (iv) अब, अपना यूजर आईडी प्रविष्ट कीजिए
ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय बेनीफीशियरी आईडी.
बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकीय क्लाइंट आईडी के पश्चात 8 शब्दों का डीपी आईडी.
- (v) अब प्रदर्शित हो रहे इमेज वेरीफिकेशन को प्रविष्ट कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए
- (vi) यदि आपके शेयर्स डीमेट फॉर्म में हैं और आपने www.evotingindia.com को लॉन ऑन किया था और आपने किसी कंपनी/संस्था में पहले मतदान के लिए मत डाला है तो आपके वर्तमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.
- (vii) यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो निम्नानुसार बिन्दुओं को अपनाए.

	डीमेट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पैन*	आयकर विभाग द्वारा जारी (डीमेट शेयरधारकों और भौतिक रूप से शेयर्स धारकों दोनों को लागू) आपका 10 अंकीय अल्फा-न्यूमरिक *पैन प्रविष्ट करें.

7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

8. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the Meeting.

9. Voting through electronic means

I. In compliance with clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting.

The process and instructions for e-voting are as under :

- (i) The voting period begins on Monday, 22nd December 2014 at 10.00 AM and ends on Wednesday, 24th December 2014 at 05.00 PM. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 28th November 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)

	<ul style="list-style-type: none"> • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उनके नाम के पहले दो शब्दों का उपयोग करें और पैन फील्ड में आठ अंकीय संख्या का क्रमानुसार उपयोग करें. • यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम है तो नाम के पहले दो शब्दों (केपिटल लेटर में) के बाद तथा नम्बरों के पूर्व समुचित संख्या में 0 प्रविष्ट करें, उदाहरणार्थ यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में आरए 00000001 प्रविष्ट करें
जन्म तिथि	आपके डीमेट खाते में अथवा कथित डीमेट खाते संबंधित बैंक अभिलेख में अथवा फोलियो में दर्ज जन्म तिथि, तिथि/माह/वर्ष के प्रारूप में प्रविष्ट करें
डिविडेंड बैंक विवरण	<p>आपके डीमेट खाते अथवा कथित डीमेट खाते के बैंक अभिलेख में दर्ज अथवा फोलियो में दर्ज डिविडेंड बैंक विवरण प्रविष्ट करें.</p> <ul style="list-style-type: none"> • लॉगिन करने के लिए, कृपया जन्म-तिथि अथवा डिविडेंड बैंक विवरण प्रविष्ट करें. यदि डिपॉजिटरी अथवा बैंक के पास विवरण दर्ज नहीं किए गए हैं तो कृपया अनुदेश (iv) में बताए अनुसार, डिविडेंड बैंक विवरण में मेम्बर आईडी/फोलियो नम्बर प्रविष्ट करें.

- (viii) इन विवरणों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के उपरांत, "सबमिट" टेब पर क्लिक करें
- (ix) भौतिक रूप में शेयर्स के धारक अब सीधे बैंक सिलेक्शन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे. परंतु, डीमेट रूप में शेयरधारक अब पासवर्ड क्रियेशन "मेनू में पहुंच जाएंगे, जहां उनसे यह अनिवार्यतया अपेक्षित होगा कि वे अपना लॉगिन पासवर्ड, नई पासवर्ड फील्ड में प्रविष्ट करें. कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग, डीमेट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी/संस्था के प्रस्तावों के मतदान हेतु भी किया जाएगा, जिसके लिए वे मत देने हेतु पात्र हैं, बशर्ते कि कंपनी/संस्था के पास सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग के लिए विकल्प उपलब्ध है. इसकी दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि आप अपना पासवर्ड, किसी अन्य को न बताएं और अपने पासवर्ड को पूरी तरह से गोपनीय रखें.
- (x) भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के संबंध में ही विवरण का उपयोग किया जा सकता है.
- (xi) जिसे वोट देना चाहें उस < कंपनी का नाम > पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग के पृष्ठ पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा जिसके सामने वोटिंग का विकल्प हां/नहीं दिया होगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं का चयन करें. विकल्प हां का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी सम्मति एवं विकल्प नहीं का तात्पर्य संकल्प के प्रति आपकी असम्मति है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का पूर्ण विवरण देखना चाहें तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें.
- (xiv) संकल्प का चयन करने के पश्चात आपने उस पर वोट देने का निर्णय लिया है. सब्मिट पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें अन्यथा वोट परिवर्तित करने के लिए "केन्सिल" पर क्लिक कर अपना वोट तदनुसार संशोधित करें.

	<ul style="list-style-type: none"> Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	<p>Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv)

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

- (xv) संकल्प पर अपने वोट की एक बार “पुष्टि” कर देने पर आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.
- (xvi) वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा की गई अपनी वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं.
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाए तब यूजर आई डी एंटर करें तथा इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर कर “फॉरगॉट पासवर्ड” पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा प्राप्त किए अनुसार विवरण भरें.

(xviii) गैर वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मोहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडमिन लॉगिन एवं पासवर्ड के प्रयोग से एक कम्प्लाइंस यूजर निर्मित किया जाना चाहिए. कम्प्लाइंस यूजर खाता को लिंक करने में सक्षम होगा, जिस पर वे वोट करना चाहते हैं.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे अपना वोट कर सकते हैं.
- बोर्ड प्रस्तावों एवं मुख्तारनामा (पीओए) यदि कोई हो, जिन्हें उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन्ड प्रति सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना चाहिए.

(xix) ई- वोटिंग के संबंध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ करना चाहें तो आप <https://www.evotingindia.co.in> के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

- II. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तारीख दिनांक 28 नवम्बर 2014 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे. तथापि बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिकता की स्थिति में स्वयं के द्वारा धारित किसी भी शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- III. इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
- IV. ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु श्री प्रमोद एस. शाह, कार्यरत कंपनी सचिव (प्रैक्टिस न. 3804 का प्रमाणपत्र) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- V. ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर जांचकर्ता कम से कम दो (2) साक्षियों, जो कंपनी के कर्मचारी न हों, की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा एवं पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए वोटों यदि हो, की जांच - रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.
- VI. बैंक के एजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- (xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 28th November, 2014. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- IV. Shri Pramod S. Shah, Practising Company Secretary (Certificate of Practice Number 3804) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- V. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer’s Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VI. The Results declared alongwith the Scrutinizer’s Report shall be placed on the Bank’s website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the EGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

10. व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के निम्नलिखित विवरणों को प्रकट किया जाए:

I. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का उद्देश्य:

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यावसायिक लक्ष्य तथा बासल III के अनुसार 7% टियर I सीआरएआर को हासिल करने के लिए लगभग रु. 2016.00 करोड़ की अतिरिक्त टियर I (एटी I) पूंजी की आवश्यकता अनुमानित है. दिनांक 31 मार्च 2014 को सीआरएआर 9.87% था जिसमें टियर I 7.37% (सीईटी I : 6.47% ; एटी I : 0.90%) एवं टियर II 2.50% था. दिनांक 31 मार्च 2014 को बासल II के अनुसार सीआरएआर 11.96% था जिसमें टियर I 8.12% एवं टियर II 3.84% था. वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं दिनांक 31.03.2015 को जोखिम भारित आस्तियों में संभावित वृद्धि को देखते हुए, पूंजी प्रविष्टिकरण आवश्यक है. यद्यपि यह कमी, अतिरिक्त टियर I (एटी I) के अंतर्गत है जिसे इक्विटी शेयर एवं /अथवा नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत एवं बासल III के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर शाश्वत संचयी अधिमानी शेयर पूंजी की गुणों वाली टियर I पूंजी से पूर्ण किया जा सकता है, दीर्घकालिक योजना के मद्देनजर यह वांछनीय है कि कोर पूंजी अर्थात इक्विटी शेयर, पर विचार किया जाय. भारतीय जीवन बीमा निगम से इस इक्विटी के प्रविष्टिकरण से भविष्य में यदा कदा आवश्यकता होने पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य कोई विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई हो, के अनुमोदन पर बैंक को अधिमानी निर्गम, एफपीओ/अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से और अधिक इक्विटी पूंजी उगाहने में अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी.

इक्विटी के इस अधिमानी आबंटन के द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूंजी को बैंक द्वारा किसी भी रूप में अपनी किसी भी अनुषंगी इकाई, संयुक्त उपक्रम आदि में निवेश करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा.

II. निर्गम को अभिदान करने हेतु प्रवर्तकों/निदेशकों/ निर्गम के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

इस अधिमानी निर्गम में कोई भी इच्छुक प्रवर्तक, निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति अभिदान नहीं करेगा.

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पहले और उसके उपरांत शेयरधारिता ढांचा

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या के संबंध में पूर्व-आबंटन	पूर्व-आबंटित प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के संबंध में पश्च-आबंटन	पश्च-आबंटित प्रदत्त पूँजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)(प्रवर्तक)	119,69,59,325	84.20	119,69,59,325	79.56
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	14,27,67,008	10.04	22,56,57,008	15.00
3.	अन्य शेयरधारक	8,17,88,735	5.76	8,17,88,735	5.44
4.	कुल (1+2+3)	142,15,15,068	100.00	150,44,05,068	100.00

10. EXPLANATORY STATEMENT

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. The Objects of the proposed Preferential Issue:

The total Additional Tier 1 (AT1) capital required to meet business target and the Tier-I CRAR of 7% as per BASEL III has been projected at around Rs. 2016.00 crore for the financial year 2014-15. CRAR as on 31st March 2014 was 9.87% with Tier I at 7.37% (CET1: 6.47%; AT1: 0.90%) and Tier II at 2.50%. CRAR as per BASEL II as on 31st March 2014 was 11.96% with Tier I at 8.12% and Tier II at 3.84%. As the Bank has to meet its business target for financial year 2014-15 and with probable increase in Risk Weighted Assets as on 31.03.2015, capital infusion is necessary. Although shortfall is falling under the Additional Tier I (AT 1) category which can be bridged by raising either Equity Shares and/or Innovative Perpetual Debt Instruments and Perpetual Non-Cumulative Preference Shares having characteristics of Tier I capital as per BASEL III guidelines, it is desirable to consider core capital i.e. Equity shares only as a long term plan. This infusion of equity by Life Insurance Corporation of India would also give additional leverage to the Bank to raise further equity capital from the public/Government by way of Rights Issue / FPO/ Qualified Institutional Placement (QIP) at a later date as and when the need arises, subject to necessary approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities, if any.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures, etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Promoters, Directors and Key Management persons intends to subscribe to the equity shares in this preferential issue.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	President of India (Government of India), Promoter	119,69,59,325	84.20	119,69,59,325	79.56
2.	Life Insurance Corporation of India	14,27,67,008	10.04	22,56,57,008	15.00
3.	Other Shareholders	8,17,88,735	5.76	8,17,88,735	5.44
4.	Total (1+2+3)	142,15,15,068	100.00	150,44,05,068	100.00

IV. अधिमानता निर्गम पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा :

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन पूर्ण किया जाएगा, बशर्ते किसी विनियामक प्राधिकारी से उक्त आबंटन का अनुमोदन लेने में लगा समय इसमें विस्तारित किया जाए.

V. प्रस्तावित आबंटियों की पहचान तथा अधिमान निर्गम पश्चात उनके द्वारा रखी जाने वाली पूंजी का अनुपात तथा अधिमान निर्गम के उपरांत निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो.

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	शेयरों की संख्या के संबंध में पूर्व-आबंटन	पूर्व-आबंटित प्रदत्त पूंजी का %	अधिमानता आधार पर आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या के संबंध में पश्च-आबंटन	पश्च-आबंटित प्रदत्त पूंजी का %	पश्च-आबंटन वृद्धिगत %
भारतीय जीवन बीमा निगम	14,27,67,008	10.04	8,28,90,000	22,56,57,008	15.00	4.96

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) का बैंक पर नियंत्रण जारी रहेगा और प्रस्तावित अधिमानता आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

VI. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का मूल्य निर्धारण

निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार किया गया है.

परिणामी इक्विटी शेयरों का निर्गम मूल्य निर्धारित करने की “संगत तारीख” 28 नवम्बर, 2014 है, जो (रविवार, 30 नवम्बर, 2014 के तुरंत पूर्ववर्ती कार्य दिवस) जो सदस्यों के आवश्यक बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तिथि अर्थात् 30 दिसम्बर, 2014 से 30 दिन पूर्व की है.

बैंक यह वचन देता है कि वह इन विनियमनों के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आवश्यकता पड़ने पर पुनः मूल्य निर्धारण करेगा.

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुनः निर्धारण के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता, तो इक्विटी शेयर उस समय तक लॉक-इन रहेंगे, जब तक आबंटियों द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता.

VII. सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र

सांविधिक लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर प्रस्तावित अधिमानता निर्गम पर विचार करते हुए, यह प्रमाणित किया जाएगा कि निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमनों की आवश्यकता के अनुरूप जारी किया गया है. उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की जाने वाली असाधारण सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी.

VIII. लॉक-इन अवधि

अब तक संशोधित सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2009 के विनियम 78(2) के अनुसार अधिमानी निर्गम पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे.

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority, if any.

V. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
Life Insurance Corporation of India	14,27,67,008	10.04	8,28,90,000	22,56,57,008	15.00	4.96

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India (Government of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The “relevant date” for determining the issue price of the resultant equity shares is 28th November 2014, being the date (immediate preceding working day to Sunday, 30th November 2014) which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 30th December 2014.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked - in till the time such amount is paid by the allottees.

VII. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 30th December 2014.

VIII. Lock-in period:

The equity shares proposed to be issued and allotted on preferential basis shall be locked-in for a period of one year from the date of trading approval granted for, as per regulation 78(2) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended till date.

बैंक के ईक्विटी शेयर छः माह से भी अधिक समय पूर्व सूचीबद्ध किए गए हैं एवं तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर डीमेट स्वरूप में हैं और उन स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीकरण अनुबंध में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों की सतत लिस्टिंग की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

एक बीमा कंपनी होने के कारण एलआईसी को “संगत तिथि” के पूर्व द्वाः माह की अवधि के दौरान इक्विटी शेयर का विक्रय न किए जाने संबंधी सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 72(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। एलआईसी को संगत तिथि से ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि के द्वाः माह की अवधि तक संपूर्ण पूर्व-अधिमानी आबंटन शेयरधारिता के लॉक-इन संबंधी सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 78(6) के प्रावधानों से भी छूट प्राप्त है।

IX. उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर हर प्रकार से बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे।

- 11 . बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध अनुबंध का खण्ड 23, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्दिष्ट करता है कि अतिरिक्त शेयरों के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिए जाने पर ऐसे शेयर जब तक कि विशेष संकल्प के द्वारा सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रस्तावित किए जाएंगे। जैसा कि प्रस्तावित है कि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को समानुपात आधार के अलावा अन्य विधि द्वारा पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर का आबंटन किया जाए, तो उपर्युक्त संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही, सेबी आईसीडीआर संकल्प 2009 के विनियमन 72 के तहत भी ऐसा करना आवश्यक है।
12. आपके निदेशकगण आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा करते हैं।
13. बैंक के निदेशकगण, बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक अपनी वैयक्तिक हैसियत में इस सूचना के संकल्प में सरोकार अथवा इच्छुक माने जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई
दिनांक : 03.12.2014

(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulations 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

All the shares held by Life Insurance Corporation of India (LIC) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

LIC being an insurance Company is exempt from the provisions of Regulation 72 (2) of the SEBI ICDR Regulations relating to non-selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

LIC is also exempt from the provisions of Regulation 78 (6) of the SEBI ICDR Regulations relating to lock-in of entire pre-preferential allotment shareholding from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval.

- IX.** The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.
- 11.** Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange where the Bank's Equity Shares are listed, provides *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share by the method other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, 2009.
- 12.** Your Directors recommend the resolution for your approval.
- 13.** The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

**BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India**

**Place : Mumbai
Date : 03.12.2014**

**(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म “बी”

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पत्रा सं. या डीपी आईडी# / ग्राहक आईडी#	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ----- निवासी ----- जिला --
-----, राज्य -----, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से श्री/
सुश्री ----- निवासी ----- जिला -----
-----, राज्य -----, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री -----
----- निवासी ----- जिला -----, राज्य --
-----, को मंगलवार, 30 दिसम्बर 2014 प्रातः **11.00 बजे**, स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स
ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम विलेपार्ले (पश्चिम),
मुंबई - 400 056 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरे/
हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख ----- माह ----- वर्ष 2014 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

कृपया रेवेन्यू
स्टैम्प
चिपकाएं.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर -

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम -----

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता -----



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

Folio No. or DP Id / Client-Id	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Tuesday, 30th December, 2014 at 11.00 AM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014.

Please
affix revenue
stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फॉर्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014 को सायं 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फॉर्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र “फॉर्म बी” में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Wednesday, 24th December, 2014, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक - मंगलवार, 30 दिसम्बर 2014

पंजीकृत पत्रा / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	मंगलवार, 30 दिसम्बर 2014
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

पत्रा क्रमांक या डीपी आईडी /ग्राहक आईडी	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्राक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदपि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021

ATTENDANCE SLIP

Extra-ordinary General Meeting - Tuesday, 30th December, 2014

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters)	
Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/ Representative Present in Block Letters (if any)	

**Signature of the Member/Proxy/
Representative Present**

Day and Date	Tuesday, 30th December, 2014
Place	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Regd. Folio /DPID & Client-ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

**Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present**

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(इकाई - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड

एल.बी.एस.मार्ग, भांडुप (पश्चिम)

मुंबई, 400078

फोन : (022) 2596 3838

फैक्स : (022) 2594 6969

ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Share Transfer Agent:

Link Intime India Private Limited

(Unit-CENTRAL BANK OF INDIA)

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg,

Bhandup (West)

Mumbai, 400078

Phone: (022) 2596 3838

Fax: (022) 2594 6969

E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन: 022 - 6638 7818

CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022- 6638 7818